M-440

राजस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY KIM- 30 Depth-200 CPB-220

452]

नई दिल्ली, बुहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2004/आश्विन 22, 1926

No. 4521

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2004/ASVINA 22, 1926

38/10

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2001

सा.का.नि. 675(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रिया कलाए (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्नीवंत्रोकन सिभित के सदस्य की अईताओं को विनियमित करने के निए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नम्म पुनर्विलोकन समिति के सदस्यों के लिए अर्हता नियम, 2004 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएँ.—इन नियमों में, "सदस्य" अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन पठित पुनर्विलोकन समिति का सदस्य अभिन्नेत है।
- केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को प्नविंलोकन समिति, के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जो,—
 - (क) ऐसा अधिकारी है या रहा हो जो भारत सरकार के सचिव पंक्ति से नीचे का न हो; और
 - (ख) विधिक मामले/आपराधिक न्याय प्रशासन का एक वर्ष का अनुभव रखता है।

[फा. सं. 1-17014/72/2004-आईएस-VII] एल. सी. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2004

G.S.R. 675(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Sub-section (2) of Section 52 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules regulating the qualifications of members of the Review Committee, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Qualifications for the members of the Review Committee Rules, 2004.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Definition.—In these rules, "member" means a member of the Review Committee constituted under Subsection (1) of Section 37 of the Act.
- 3. The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a person as member of the Review Committee who is, or has been.—
 - (a) an officer not below the rank of Secretary to
 the Government of India; and
 - (b) has one year experience in legal affairs/ administration of criminal justice.

[F. No. I-17014/72/2004-IS-VH] L. C. GOYAL, Jr. Secy.